



महानगर लखनऊ-226006
फोन : 0522-2337452
फैक्स नं०: 0522-2337453
सीयूजी : 9454400167
Email:sec1pachq.lu@up.gov.in

पीएसी मुख्यालय उत्तर प्रदेश

पत्रांक: पीएसी-1-152(2)-2024 1719
दिनांक: फरवरी 29, 2025

आदेश

अपर पुलिस महानिदेशक, "स्थापना" उ0प्र0 के पत्र संख्या: दस-395/2022(अधियाचन) दिनांक 22.08.2024 द्वारा प्राप्त उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-तीन-5(01)/2024 दिनांक 16.08.2024 के साथ संलग्न सूची में अंकित उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़ते हुये मुख्य आरक्षी पीएसी के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष 2024 की रिक्ति के सापेक्ष कुल 500 आरक्षी उपयुक्त पाये गये हैं। इनमें से माह फरवरी 2025 की 39 रिक्तियों के सापेक्ष तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस/बिगुलर/डी0आर0 को उनकी वर्तमान नियुक्ति की वाहिनी/जनपद/इकाई में मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

| क0 सं0 | वरिष्ठता कमांक | पीएनओ | कार्मिक का नाम | पिता का नाम | नियुक्ति स्थान | चयन वर्ष |
|--------|----------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------------|----------|
| 1 | 616 | 050500459 | राम खिलाड़ी | गया प्रसाद | 38वीं अलीगढ़ | 2024 |
| 2 | 617 | 050500576 | देवेन्द्र कुमार | रतनलाल | फिरोजाबाद | 2024 |
| 3 | 619 | 050620063 | कृष्ण कुमार सिंह | सुदर्शन सिंह | 32वीं लखनऊ | 2024 |
| 4 | 620 | 051750158 | राजीव कुमार यादव | रमेश चन्द्र यादव | 34वीं वाराणसी | 2024 |
| 5 | 621 | 050550047 | संजय कुमार | सुरेश बाबू | लखनऊ कमिश्नरेट | 2024 |
| 6 | 622 | 050440115 | सुरेश चन्द्र | हरिप्रसाद | फिरोजाबाद | 2024 |
| 7 | 623 | 050550148 | उपदेश कुमार | श्री जोर सिंह | कानपुर नगर कमिश्नरेट | 2024 |
| 8 | 624 | 050550135 | स्वदेश कुमार यादव | सियाराम सिंह यादव | लखनऊ कमिश्नरेट | 2024 |
| 9 | 625 | 050550106 | राम खिलाड़ी | लायक सिंह | 32वीं लखनऊ | 2024 |
| 10 | 628 | 050440131 | मुनेश सिंह | देवी दयाल | आगरा | 2024 |
| 11 | 629 | 050500316 | धर्मेन्द्र | जिलेदार | आगरा | 2024 |
| 12 | 630 | 050560019 | विनय कुमार | चुन्नी लाल | फतेहगढ़ | 2024 |

| | | | | | | |
|----|-----|-----------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------|
| 13 | 631 | 050540091 | पवन कुमार | गुलाब सिंह | 23वीं मुरादाबाद | 2024 |
| 14 | 632 | 050500143 | उपदेश कुमार | तिलक सिंह | 11वीं सीतापुर | 2024 |
| 15 | 633 | 050550656 | अरविन्द्र कुमार | श्री रामचन्द्र | कन्नौज | 2024 |
| 16 | 635 | 050540088 | रवि कुमार | सत्यराम | एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ | 2024 |
| 17 | 636 | 050620076 | राजू सिंह | बाबू सिंह | लखनऊ कमिश्नरेट | 2024 |
| 18 | 637 | 050440203 | विनीत कुमार | स्व0 रघुवीर सिंह | लखनऊ कमिश्नरेट | 2024 |
| 19 | 639 | 050500303 | मनीष कुमार चौधरी | श्री हम्वीर चौधरी | सुरक्षा विभाग | 2024 |
| 20 | 640 | 050550236 | अनिल कुमार | पैज सिंह | लखनऊ कमिश्नरेट | 2024 |
| 21 | 641 | 050550151 | रवीन्द्र सिंह | श्री ज्ञानदास | अलीगढ | 2024 |
| 22 | 642 | 050550252 | बिजेन्द्र सिंह | श्री रामवीर सिंह | अलीगढ | 2024 |
| 23 | 643 | 050540222 | मनोज कुमार | श्री राम सनेही लाल | सुरक्षा विभाग | 2024 |
| 24 | 644 | 050540307 | अनिल पाल | रामपाल सिंह पाल | लखनऊ कमिश्नरेट | 2024 |
| 25 | 645 | 050440476 | मनोज कुमार | जवाहर सिंह | अलीगढ | 2024 |
| 26 | 646 | 050540105 | देवेन्द्र प्रताप सिंह | उदल सिंह | 38वीं अलीगढ | 2024 |
| 27 | 647 | 050440450 | राजेश कुमार | श्री बृजेश कुमार | अलीगढ | 2024 |
| 28 | 648 | 050540293 | सत्येन्द्र सिंह | बाबू राम | झोंसी | 2024 |
| 29 | 649 | 050440375 | हरिगोविन्द | मुलायम सिंह | आगरा | 2024 |
| 30 | 650 | 050470453 | मनोज कुमार | भारत सिंह | 08वीं बरेली | 2024 |
| 31 | 651 | 050620092 | बृजेश पाल | श्री रामेश्वर पाल | सुरक्षा विभाग | 2024 |
| 32 | 652 | 051750116 | शरद मणि पुष्कर | श्री रूप नारायण | 30वीं गोण्डा | 2024 |
| 33 | 653 | 050470482 | जीव मूर्ति | राजाराम | 08वीं बरेली | 2024 |
| 34 | 654 | 050540323 | संजय सिंह | रामकुमार सिंह | लखनऊ कमिश्नरेट | 2024 |
| 35 | 655 | 050440160 | दिवाकर गौड | श्री बसन्त लाल शर्मा | 09वीं मुरादाबाद | 2024 |
| 36 | 656 | 050440317 | पंकज कुमार सिंह | रामकुमार सिंह | ए0पी0टी0सी0, सीतापुर | 2024 |

Handwritten signature

| | | | | | | |
|----|-----|-----------|---------------------|---------------------------|-------------------|------|
| 37 | 657 | 050440418 | विनय कुमार सिंह | श्री दिनेश सिंह | पी0टी0सी0 सीतापुर | 2024 |
| 38 | 658 | 050440359 | मनीष कुमार त्रिपाठी | श्री सतीश चन्द्र त्रिपाठी | सुरक्षा विभाग | 2024 |
| 39 | 659 | 050620148 | अभिषेक कुमार तिवारी | विनय कुमार तिवारी | 32वी लखनऊ | 2024 |

2- उक्त आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस अपने वर्तमान नियुक्ति स्थान वाहिनी/जनपद/इकाई में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। यदि किसी कर्मी के नियुक्ति का स्थान स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी को उसके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इस मुख्यालय को सूचित किया जायेगा।

3- पदोन्नत मुख्य आरक्षियों को पदोन्नति की तिथि से 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाय। प्रशिक्षण के सम्बन्ध में पृथक से अवगत कराया जायेगा।


4- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षियों से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21/89-का-1-1997 दिनांक:28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियों विद्यमान न हों:-

- (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,
- (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।
- (ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

5- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस को मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6- यदि सम्बन्धित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित आरक्षी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस वाहिनी/जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस वाहिनी/जनपद/इकाई में सम्बन्धित आरक्षी द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक:घोषणा-पत्र


 (आशुतोष कुमार)
 पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी,
 उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- पुलिस आयुक्त लखनऊ / गौतमबुद्धनगर / कानपुर / वाराणसी / आगरा / गाजियाबाद / प्रयागराज ।
- 2- समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनी, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 3- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश ।
- 4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ ।
- 5- पुलिस अधीक्षक, ए0टी0एस0 उ0प्र0 लखनऊ ।
- 6- पुलिस अधीक्षक, (प्रशिक्षण एवं सुरक्षा) सुरक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ ।
- 7- सेनानायक, एस0डी0आर0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ ।
- 8- पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ0प्र0 लखनऊ ।
- 9- पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान उ0प्र0 लखनऊ ।
- 10- पुलिस अधीक्षक, डा0 भीमराव अम्बेडकर अकादमी मुरादाबाद ।
- 11- पुलिस अधीक्षक, पी0टी0सी0 सीतापुर ।
- 12- पुलिस अधीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
- 13- पुलिस अधीक्षक, पी0टी0एस0 गोरखपुर ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, "स्थापना" उत्तर प्रदेश ।
- 3- समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन उत्तर प्रदेश ।
- 4- समस्त पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उ0प्र0 लखनऊ ।
- 5- समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन उत्तर प्रदेश ।
- 6- समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी अनुभाग उत्तर प्रदेश ।

स्वघोषणा-पत्र

मैं..... (नाम/पदनाम व पीएनओ)
 पुत्र..... निवासी
 थाना..... जनपद..... वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम).....
 नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण सत्र का आरक्षी हूँ।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

(क) "मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

2- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3- यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)

नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित आरक्षी के विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण
- (2) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु०अ०सं०..... धारा..... थाना..... जनपद..... में लम्बित है, जिसमें दिनांक को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में स्तर पर चल रहा है।

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
 नाम/पदनाम की मुहर

नोट:- स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उप प्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाये।